अनुदान संख्या 78 - पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 78 - MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1749,56,00	2061,95,00	1958,62,88	-103,32,12
पूरक	Supplementary	312,39,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				51,97,91
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1202,93,00	1467,39,00	1419,64,48	-47,74,52
पूरक	Supplementary	264,46,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				47,14,70

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹10332.12 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹31239.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹10332.12 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹31239.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	7333.00	7402.00	6758.96	- 643.04
पु.	R.	69.00			
मुख्य शीर्ष "3051"	Major Head "3051"				
बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	119101.00	140194.99	136214.86	-3980.13
पू.	S.	24980.00			
पु.	R.	-3886.01			
मुख्य शीर्ष "3052"	Major Head "3052"				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	29972.00	30078.00	29829.19	-248.81
पू.	S.	1259.00			
पु.	R.	-1153.00			

(I) ₹21137.05 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹20622.85 लाख मुख्य शीर्ष "3051" – "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ– संचालन व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹21137.05 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹20622.85 lakhs accounted for under Major Head "3051" - "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses" - under the following heads: -

(का) "मूल्यह्रास आरक्षित निधि" – ₹4000.00 लाख; और

(A) "Depreciation Reserve Fund" - ₹4000.00 lakhs; and

(खा) "सामान्य आरक्षित निधि" – ₹16622.85 लाख।

(B) "General Reserve Fund" - ₹16622.85 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान 01.07.2017 से 31.08.2022 तक की अवधि के लिए एकत्रित बिजली के लिए देय राशि पर जीएसटी देय राशि के भुगतान हेतु निधियों का पुनर्विनियोग के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds for payment of GST dues on Light dues collected for the period from 01.07.2017 to 31.08.2022.

(II) मुख्य शीर्ष "3051" – "मुख्य बंदरगाह – निदेशन एवं प्रशासन – सागरमाला" के अंतर्गत ₹66000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹900.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹66900.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹3452.98 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) राज्य सरकार से कम प्रस्ताव प्राप्त होने, कम अध्ययन किए जाने, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय से बिल प्राप्त न होने और नवीनीकरण कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3051" - "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala" - the original provision of ₹66000.00 lakhs was augmented to ₹66900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹900.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3452.98 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals from State Government, less studies undertaken, non-receipt of bills from Directorate of Advertising and Visual Publicity and non-execution of renovation work.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – पोत परिवहन मंत्रालय" के अंतर्गत ₹574.04 लाख की बचत (₹7333.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और कम बिलों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Shipping" - saving of ₹574.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7333.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less bills.

(IV) मुख्य शीर्ष "3051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3051" - savings occurred under the following heads: -

(का) "लघु बंदरगाह – निदेशन और प्रशासन – पोर्ट ब्लेयर में मुख्य अभियंता–सह–प्रशासक कार्यालय और नई दिल्ली में कार्यकारी अभियंता एवं संपर्क कार्यालय के संबंध में स्थापना प्रभार" – ₹702.18 लाख की बचत (₹6994.80 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, कम एलटीसी और चिकित्सा दावों की प्राप्ति होने और निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Minor Ports - Direction and Administration - Establishment charges in respect of CE-cum-Administrator office at Port Blair and E.E. & Liaison Office at New Delhi" - saving of ₹702.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6994.80 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less LTC and medical claims and non-finalization of tender.

(खा) "प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ – संचालन व्यय" –

(B) "Light Houses and Light Ships - Light Houses - Working Expenses" -

(क) "प्रबंधन" – ₹1878.84 लाख की बचत (₹10344.85 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत प्रकाश स्तंभ पर्यटन के विकास की वजह से मरम्मत और रखरखाव के लिए कम निधियों की आवश्यकता

(a) "Management" - saving of ₹1878.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10344.85 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards repair and maintenance owing to

होने के कारण हुई।

(ख) "संचालन और रखरखाव" – ₹1442.58 लाख की बचत (₹4654.20 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएमएचसी, लोथल में लाइटहाउस संग्रहालय के निर्माण, कोविलथोटेम प्रकाश स्तंभ में तट संरक्षण कार्य और कच्छ की खाड़ी में वीटीएमएस के उन्नयन और विभिन्न कार्यों के लिए डीपीआर जैसी परियोजनाओं के लिए परामर्श कार्यों में विलंब होने के कारण हुई।

(ग) "पेंशन" – ₹600.00 लाख की बचत (₹1800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू वित्त वर्ष के दौरान कम अंशदान होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3052" – "सामान्य – निदेशन एवं प्रशासन – नौवहन महानिदेशालय" के अंतर्गत ₹2175.71 लाख की बचत (₹18216.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने, मुद्रण के कम दावों की प्राप्ति होने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा लागत साझा व्यवस्था में संशोधन किए जाने और कार्यालय परिसर के लिए पट्टा समझौते का नवीनीकरण न करने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹286.11 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 72 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचतें (₹21591.65 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹10839.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) मुख्य शीर्ष "3051" – "प्रकाश स्तंभ एवं प्रकाश पोत – निदेशन और प्रशासन – महानिदेशालय" – ₹20879.65 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹20588.57 लाख था।

development of Lighthouse tourism under Capital heads.

(b) "Operation and Maintenance" - saving of ₹1442.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4654.20 lakhs) was due to delay in consultancy works for projects such as construction of Lighthouse Museum at NMHC, Lothal, shore protection work at kovilthotem Lighthouse and upgradation of VTMS at Gulf of Kutch and DPR for various works.

(c) "Pension" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1800.00 lakhs) was due to less contribution during the current financial year.

(V) Under Major Head "3052" - "General - Direction and Administration - Directorate General of Shipping" - saving of ₹2175.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18216.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards printing, revision of cost share mechanism by Indian Space Research Organization (ISRO) and non-renewal of lease agreement for office premises.

(VI) Under one head saving of ₹286.11 lakhs occurred constituting 72 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹21591.65 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹10839.00 lakhs under the following major heads: -

(A) Major Head "3051" - "Light Houses and Light Ships - Direction and Administration - Directorate General" - ₹20879.65 lakhs. Actual excess, however, was ₹20588.57 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3052" – "विदेशी पोत परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – भारतीय पोत परिवहन निगम" – ₹712.00 लाख।

(B) Major Head "3052" - "Overseas Shipping - Assistance to Public Sector and Other Undertakings - Shipping corporation of India" - ₹712.00 lakhs.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹371.02 लाख का अधिक व्यय हुआ, जहां संपूर्ण व्यय निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा पूरा किया गया।

(II) Under one head excess of ₹371.02 lakhs occurred where the entire expenditure was met by re-appropriation of funds.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹4774.52 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹26446.00 लाख के पूरक अनुदान का 18 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall saving of (₹4774.52 lakhs) constituted 18 percent of the supplementary grants of ₹26446.00 lakhs obtained in the December, 2024 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	32000.00			
पू.	S.	8600.00	..	..	..
पु.	R.	-40600.00			
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
बंदरगाहों और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	16500.00	10423.30	10405.39	-17.91
पु.	R.	-6076.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	2576.00			
पू.	S.	1413.00	3762.50	3758.71	-3.79
पु.	R.	-226.50			
मुख्य शीर्ष "5056"	Major Head "5056"				
अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Inland Water Transport				
मू.	O.	69000.00			
पू.	S.	1761.00	112723.00	112723.00	..
पु.	R.	41962.00			

(I) ₹40600.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "4552"– "अंतर्देशीय जल परिवहन – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" के अंतर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने की वजह से एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹40600.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "4552" - "Inland Water Transport - Assistance to Public Sector & Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "5051" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(II) Under Major Head "5051" - savings occurred under the following heads:-

(का) "मुख्य बंदरगाह – निदेशन और प्रशासन – सागरमाला" – ₹1617.98 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना स्थल में समुद्री जल के प्रवेश और "कैसन गेट" कार्य के पूरा न होने की वजह से पुराने और नए ड्राईडॉक–II के एकीकरण न होने के कारण हुई।

(A) "Major Ports - Direction and Administration - Sagarmala" - saving of ₹1617.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to non-integration of old and new Drydock-II owing to ingression of Sea Water into the project site and non-completion of "Caisson Gate" work.

(खा) "प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत – प्रकाश स्तंभ का निर्माण और विकास – प्रकाश स्तंभ का निर्माण और सुधार" – ₹4231.72 लाख की बचत (₹12000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रतिकूल मौसम की स्थिति और प्रकाश स्तंभों की सुदूर निगरानी, पोर्ट ब्लेयर में यूटीएस परियोजनाओं के एकीकरण में देरी की वजह से रानी लक्ष्मीबाई शिला परियोजना के पूरा न होने के कारण हुई।

(B) "Light Houses and Light Ships - Construction and Development of Light Houses - Construction and improvement of Light Houses" - saving of ₹4231.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12000.00 lakhs) was due to non-completion of Rani Lakshmibai Shila project owing to bad weather condition and delay in remote monitoring of Lighthouses, integration of UTS projects at Port Blair.

(III) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य – अन्य व्यय – भवन" के अंतर्गत ₹539.30 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक अनुमोदन में देरी की वजह से नए कार्यालय भवन के निर्माण कार्यों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "5052" - "General - Other Expenditure - Building" - saving of ₹539.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-materialization of new office building works owing to delay in administrative approval.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "5056" – "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹41962.00 लाख का अधिक व्यय (₹1761.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹70761.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "5056" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Inland Waterways Authority of India" - excess of ₹41962.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹70761.00 lakhs including supplementary of ₹1761.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.